राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

सीमित निविदा

क्रमांक : एफ–9/सा.प्र./ई प्रोक्यूरमेन्ट/ई– कियोस्क/2023/17529 **दिनांक:** 31/5/23

राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर एवं संघटक महाविद्यालय महाराजा एवं महारानी महाविद्यालय में चिन्हित स्थानो पर ई– कियोस्क (E-Mitra) स्थापित करने हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्था से बंद लिफाफे में दिनांक 07.06.2023 को अपराह्न 2.00 बजे तक सीमित निविदाये आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाये दिनांक 07.06.2023 को अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित व्यक्ति/संस्था के प्रतिनिधि के समक्ष समिति की उपस्थिति में खोली जायेगी।

निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण एवं सेवा शर्ते वेबसाइट www.uniraj.ac.in.& http://sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।

UBN: URA2324SSOB00053

नीलिमा

कुलसचिव

फोटो

राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर एवं संघटक महाविद्यालय महाराजा एवं महारानी महाविद्यालय में ई–कियोस्क (E-Mitra) स्थापित करने हेतु ठेका आवंटन संबंधी

निविदा–प्रपत्र–2023–24

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता का नाम ....
3. निवास का स्थायी पता ....
   ....

   एवं दूरभाष नम्बर ....
   (टेलीफोन बिल/चुनाव आयोग का मतदाता परिचय पत्र/आधार कार्ड/पेन कार्ड की प्रति संलग्न करें)
4. पत्र व्यवहार का पता ....
   ....
5. शैक्षणिक योग्यता ....
   (प्रमाण पत्र/अंकतालिका)...
6. आधार एवं पेन नम्बर ....
7. नवीनतम पुलिस थाना से प्राप्त इस आशय का प्रमाण–पत्र कि आवेदक सच्चरित्र है और किसी न्यायालय द्वारा न तो अभियोगी व अपराधी घोषित है एवं न ही किसी प्रकार के आपराधिक षड्यंत्र में सम्मिलित है/रहा है। (जो 1.5 माह अर्थात् 45 दिवस से पुराना ना हो संलग्न करना आवश्यक है)

स्थान : ....
दिनांक : ....

आवेदक के हस्ताक्षर

<u>राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर</u>

राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर एवं संघटक महाविद्यालय महाराजा एवं महारानी महाविद्यालय में चिन्हित स्थानो पर ई– कियोस्क (E-Mitra) स्थापित करने एवं संचालन हेतु ठेके की शर्तेः–

1. सीमित निविदा प्रपत्र एवं शर्ते विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.uniraj.ac.in.& http://sppp.raj.nic.in पर उपलब्ध है उक्त निविदा प्रपत्र एवं शर्ते डाउनलोड कर ऑफलाईन प्रस्तुत कर सकेगा। प्राप्त निविदाएं दिनांक 07.06.2023 को ही अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थिति आवेदको/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी।

2. ई– कियोस्क (E-Mitra) का संचालन विश्वविद्यालय परिसर में आईसीआईसीआई बैंक के पास दक्षिण दिशा की तरफ से प्रथम दुकान, महारानी महाविद्यालय में अशोक मार्ग की तरफ मुख्य द्वार पर गार्ड रूम (प्राचार्य की सहमति के अनुसार) एवं महाराजा महाविद्यालय में टोंक रोड की तरफ गार्ड रूम (प्राचार्य की सहमति के अनुसार) मे करना होगा, जिसका किराया पत्र जारी होने के 10 दिवस में प्रथम माह का किराया नगद/चैक, कुलसचिव कार्यालय में जमा करवाना होगा तथा भविष्य में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक निर्धारित किराया विश्वविद्यालय/संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाना होगा।

3. आवेदक/संस्था को बिजली तथा इन्टरनेट की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। बिजली के लिए स्वयं का सबमीटर लगाना होगा तथा उपभोग की गयी बिजली का भुगतान निर्धारित दर से संबंधित कार्यालय में जमा कराना होगा।
4. राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर एवं संघटक महाविद्यालय महाराजा एवं महारानी महाविद्यालय में चिन्हित स्थानो पर ई– कियोस्क (E-Mitra) स्थापित करने हेतु आवेदक/संस्था द्वारा सीमित निविदा प्रपत्र में अपनी दरे न्यूनतम मासिक किराया रूपये 5000/– + जी.एस.टी. नियमानुसार देय से अधिक अंकित करने वाले को ही कार्य आदेश दिया जा सकेगा।
5. ई– कियोस्क (E-Mitra) का **आवण्टन डी.ओ.आई.टी. की शर्तो के अनुसार पांच वर्ष के लिए** किया जाएगा परन्तु, आवेदक/संस्था के संतोषजनक सम्पादन के आधार पर एक वर्ष पश्चात् प्रति वर्ष के लिए 5 प्रतिशत वृद्धि कर दिया जा सकेगा। **विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम व शर्ते आवेदक/संस्था को मंजूर होंगी तभी यह अवधि बढाई जा सकेगी। अधिकतम ठेका अवधि डी.ओ.आई.टी. की शर्तो से अधिक नही होगी।**
6. आवंटित ई– कियोस्क (E-Mitra) में दो से अधिक कर्मचारी नहीं बैठेगे।
7. महारानी महाविद्यालय में ई –कियोस्क के आवंटन में महिला आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी।
8. आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
9. आवेदक 10वीं पास एवं कम्प्यूटर का जानकार होना आवश्यक है।

10. आवेदक द्वारा आधार कार्ड, पेन कार्ड, नवीनतम पुलिस वेरीफिकेशन प्रमाण–पत्र तथा 10 वीं की अंकतालिका निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। इन दस्तावेजो के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. आवेदक/संस्था द्वारा कोई ऐसा कार्य या चूक नहीं की जायेगी जिससे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को कोई क्षति/नुकसान पहुँचे।
12. आवेदक/संस्था द्वारा बिना सक्षम आदेश/विश्वविद्यालय अभियन्ता की अनुमति के ई–कियोस्क (E-Mitra) में कोई निर्माण एवं सुधार नहीं किया जा सकेगा।
13. अनुबंध अवधि पूर्ण होने अथवा बढ़ाई गई अवधि से पूर्व यदि कोई भी पक्षकार अनुबन्ध से उन्मुक्त होना चाहेगा तो यह आवश्यक होगा कि वह दूसरे पक्षकार को अनुबन्ध उन्मुक्त होने की दिनांक से एक माह पूर्व लिखित में नोटिस दे।
14. आवेदक/संस्था को कब्जा मिलने के आगामी दस दिवस के भीतर कार्य संचालन करना होगा वरना आवंटन रद्द कर दिया जावेगा।
15. निविदा में दी गई दर में किसी प्रकार की काट–छांट नहीं होनी चाहिए। किसी कारण काट–छांट की गई तो उस पर पूरे हस्ताक्षर आवेदक के होना आवश्यक है। अन्यथा उसके अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
16. सफल अनुबंधकर्ता को राज्य सरकार द्वारा सुविधाओं हेतु निर्धारित शुल्क (यदि निःशुल्क सेवा है तो निःशुल्क) का बोर्ड लगाना आवश्यक होगा।
17. निर्धारित शुल्क से अधिक या निःशुल्क सेवा की एवज में अधिक या शुल्क लिये जाने पर आवेदक को बेदखल कर आवेदक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
18. आवेदक को एक वर्ष के किराया राशि की पांच प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि आदेश में वर्णित अवधि के भीतर जमा कराना आवश्यक होगा।
19. ई–कियोस्क (ई मित्र) संचालक के समस्त सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
20. ई–कियोस्क (ई मित्र) संचालक द्वारा सुविधाएं अबाधित रूप से निरंतर संचालित रखनी होगी।
21. ई–कियोस्क (ई मित्र) कार्यालय प्रतिदिन प्रातः 9:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक संचालित करना होगा।
22. सफल आवेदक को अनुबंध निष्पादित करना आवश्यक होगा।
23. सफल आवेदक द्वारा बाल श्रमिक नहीं रखा जायेगा।
24. अनुबंध के संबंध में किसी प्रकार के विवाद का न्यायक्षेत्र जयपुर होगा।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

वित्तीय बिड

(FINANCIAL BID)

इस निविदा से संबंधित सभी प्रतिबंध एवं शर्ते मैनें पढ़ ली है और ये प्रतिबंध एवं शर्ते मुझे स्वीकार्य है तथा विश्वविद्यालय परिसर एवं संघटक महाविद्यालय महाराजा एवं महारानी महाविद्यालय में चिन्हित स्थानो पर ई– कियोस्क (E-Mitra) संचालन की दरें निम्न प्रकार से निविदा प्रस्तुत है:–

Procuring Entity/ Authority – Registrar, University of Rajasthan, Jaipur.
Title of Work - विश्वविद्यालय परिसर एवं संघटक महाविद्यालय महाराजा एवं महारानी महाविद्यालय में चिन्हित स्थानो पर ई– कियोस्क (E-Mitra) संचालन संबंधित कार्य।

क्र.सं.	कार्य का विवरण (Scope of Work)	विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया (प्रतिमाह) रूपये में	आवेदक द्वारा प्रस्तुत मासिक किराया
1.	2.	3.	4.
1.	राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर चिन्हित स्थान पर ई– कियोस्क (E-Mitra) संचालन	5000/–(प्रतिमाह)	
2.	महाविद्यालय महाराजा में चिन्हित स्थान पर ई– कियोस्क (E-Mitra) संचालन	5000/–(प्रतिमाह)	
3.	महारानी महाविद्यालय में चिन्हित स्थान पर ई– कियोस्क (E-Mitra) संचालन	5000/–(प्रतिमाह)	

नोट :–

1. जी.एस.टी. नियमानुसार पृथक् से देय होगी।
2. आवेदक न्यूनतम मासिक किराये से अधिक किसी भी राशि का उद्वरण कर सकता है।
3. विधुत का सब–मीटर लगाकर उपभोग की गई यूनिट का भुगतान विश्वविद्यालय को नियमानुसार जमा कराता रहुगा। तथा इन्टरनेट की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करूंगा।
4. निविदा से संबंधित समस्त शर्ते स्वीकार्य हैं।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम–
पता–
मोबाईल नं.–